राजस्व अपील संख्या – 37/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/134

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 37/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/134

अपीलांट्स

1. श्रीमती अगर कंवर पत्नी स्व. नवल सिंह
2. समुन्द्र सिंह पुत्र स्व. खीवसिंह
3. श्याम सिंह पुत्र स्व. खीवसिंह
4. बाबुसिंह पुत्र स्व. खीवसिंह
5. गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. खीवसिंह
6. सरोज कंवर पुत्री स्व. खीवसिंह
7. श्रीमती लहर कंवर पत्नी स्व. खीवसिंह

जातियान–राजपूत निवासी लूणावास खारा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

1. चनण. सिंह पुत्र स्व. मोहनसिंह
2. जोधसिंह पुत्र स्व.. मोहनसिंह
3. छतरसिंह पुत्र स्व. मोहनसिंह
4. भीक सिंह पुत्र स्व. मोहनसिंह
5. सोन कंवर पत्नी स्व. मोहनसिंह

   सभी जातियान राजपूत निवासी लूणावास खारा तहसील झंवर जिला जोधपुंर
6. उमराव कंवर पुत्री स्व. मोहनसिंह पत्नी सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी रामड़ावास भाटियान तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
7. पान कंवर पुत्री स्व. मोहनसिंह पत्नी गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी खुड़ाला तहसील व जिला जोधपुर
8. हुकमसिंह पुत्र स्व. भोजराज सिंह
9. भंवर सिंह पुत्र स्व. भोजराज सिंह
10. श्रीमती फूल कंवर पत्नी स्व. भोजराज सिंह
11. श्रीमती उच्छब कंवर पुत्री स्व. भोजराज सिंह

जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

12. श्रीमती भंवर कंवर पुत्री स्व. भोजराज सिंह जातियान राजपूत निवासी लूणावास खारा, तहसील झंवर जिला जोधपुर
13. श्रीमती लीला कंवर पुत्री स्वर्गीय भोजराज सिंह, निवासी लूणावास खारा, तहसील झंवर जिला जोधपुर
14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर दिनांक 29.11.1972

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चम्पावत (अपीलांटस की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बावरला (रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 7 तक की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री दिनेश सीरवी (रेस्पोडेन्टस संख्या 8 से 13 तक की ओर से)

निर्णय दिनांक– 30.06.2025

यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.1972 को पारित, बंटवाड़ा आदेश के विरूद्ध दिनांक 12.09.2024 को ए.डी.एम-II जोधपुर के न्यायालय में पेश हुई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र, धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र, अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 96 सी. पी. सी. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र, रेवेन्यु कोर्ट मैन्युयल के तहत् आदेश दिनांक 29.11.1972 की प्रमाणित प्रति पेश करने से छूट देने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किए है ।

2. प्रकरण दिनांक 17.09.2024 को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 25.11.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रिकार्ड की यथास्थिति अगली पेशी तारीख 18.12.2024 तक बनाए रखने के आदेश पारित किए गए।
3. अप्रार्थी संख्या 1 से 7 तक की ओर से श्री उम्मेदसिंह बावरला ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 तक की ओर से श्री दिनेश

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सीरवी ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दिनांक 20.01.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. प्रत्यर्थी सं. 1 से 7 की ओर से दिनांक 03.02.2025 को अपील पेश करने बाबत् प्रारम्भिक आपत्तियां पेश कर अभिकथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.1972 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित बताकर पेश की गई। यह अपील चलने योग्य नही है क्योकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 तक के पूर्वज मोहनसिंह ने सहायक कलक्टर, जोधपुर के न्यायालय में एक वादसंख्या 40/1967 अनवान मोहनसिंह बनाम भभूतसिंह व अन्य पेश करने पर दिनांक 22.12.1970 को प्राथमिक डिक्री जारी करने पर मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश करने पर दिनांक 30.11.1971 को न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की, जिसकी पालना में तहसीलदार जोधपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.1972 व नामान्तरणकरण संख्या 177 व 178 स्वीकृत किए है। जब तक सहायक कलक्टर का आदेश दिनांक 30.11.1971 बहाल है, तब तक आदेश दिनांक 29.11.1972 के विरूद्ध किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है तथा न ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.1972 निरस्त किया जा सकता है। अपीलांटस ने तथ्य छुपाकर अपील पेश की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में वाद सं. 40/1967 की प्रति आदेशिका/निर्णय की फोटो कॉपी पेश की है।

इनका यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 8 से 13 तक ने सहायक कलक्टर, लूणी के न्यायालय में धारा 88, 188 व 53 टिनेन्सी एक्ट के तहत् वाद संख्या 70/2023 अनवान हुक्मसिंह वगैरा बनाम चनणसिंह वगैरा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी. पी. सी. पेश होने पर, दिनांक 10.07.2024 को वाद खारिज किया गया जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर में अपील संख्या 127/2024 पेश की गई, जिसमें कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है तथा अपील लम्बित है। इन सभी तथ्यों को छुपाकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है। सहायक कलक्टर, जोधपुर द्वारा वाद संख्या 40/1967 में पारित निर्णय व डिक्री की पालना में मोहनसिंह को खातेदार दर्ज किया गया तथा अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 तक दर्ज रिकार्ड जरिए उत्तराधिकारी मोहनसिंह है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतः प्रारंभिक आपत्तियों के आधार पर ही अपील को खारिज किया जावे।

6. प्रत्यर्थी सं. 1 से 7 की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों का अपीलांट्स की ओर से दिनांक 26.02.2025 को लिखित जबाब पेश कर उजर व एतराज किया कि भू–राजस्व अधिनियम में अपील के सम्बन्ध में प्रारम्भिक आपत्तियाँ पेश करने का प्रावधान ही नहीं है। अपील में जबाब पेश नहीं होता है, मौखिक बहस ही सुनी जाती है। सी. पी. सी. के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः अपील को ही अंतिम रूप से सुनकर मेरिट पर निर्णित की जावे।

उक्त के अतिरिक्त प्रारम्भिक आपत्तियों का जबाब पेश कर अभिकथन किया कि अपीलांट ने तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 29.11.1972 के विरूद्ध अपील पेश की है, जिसमें सहखातेदारों ने कोई आपसी सहमति प्रदान नहीं की है तथा न ही ऐसा कोई आदेश पारित हुआ है तथा न ही तहसील में रिकार्ड उपलब्ध है। सहायक कलक्टर द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 30.11.1971 की पालना ही नहीं हुई तथा न ही उसकी पालना में कोई म्युटेशन स्वीकृत किया गया है। दोनो म्युटेशन मोहनसिंह के चारों पुत्रों के बीच बंटवाड़ा होने पर स्वीकृत हुए है। मोहनसिंह की डिक्री व निर्णय का इन म्युटेशनों से कोई सरोकार नहीं है। अतः मनगढ़ंत तथ्यो पर प्रारम्भिक आपतियां पेश की है।

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.11.1972 के खिलाफ पेश की है, जो बिना सभी खातेदारों की अनुमति/सहमति के पारित किया है। लाभार्थी रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के बावजूद तहसीलदार ने बंटवाड़ा आदेश पारित किया है, जो गलत होने से खारिज योग्य है।

इनका यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 8 से 13 तक ने सहायक कलक्टर, लूणी के न्यायालय में भभूतसिंह के उत्तराधिकार को लेकर वाद पेश किया है, जो आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत् गलत खारिज किया है, जिसकी अपील लम्बित है।

इनका यह भी कथन है कि वाद ग्रस्त आराजी वक्त जागीरी से भभूतसिंह की कब्जा काश्त की थी। भभूत सिंह की मृत्यु होने पर उनके पुत्र नवलसिंह (अपीलांट के दादा), भोजराजसिंह व मोहनसिंह का बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3, 1/3 कानूनन बनता है, परन्तु अकेले मोहनसिंह का

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सम्पूर्ण भूमि पर हक नहीं बनता है। डिक्री व निर्णय की पालना नहीं की गई है; डिक्री व निर्णय के आधार पर सम्पूर्ण भूमि मोहनसिंह व उनके पुत्रों की नहीं माना जा सकती। भभूतसिंह के तीनों पुत्रों का बराबर हक है।

सहायक कलक्टर, जोधपुर द्वारा वाद संख्या 40/1967 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.1971 की पालना नहीं होने से म्याद अधिनियम की धारा 136 अनुसार 12 वर्ष बाद निर्णय व डिक्री की पालना अब नहीं की जा सकती। डिक्री स्वतः ही प्रभावहीन होने से निरस्त योग्य है।

मोहनसिंह के चारों पुत्रों ने अलग–अलग 320 बीघा भूमि अपने नाम करवाली, जबकि दोनों आदेश पारित ही नहीं हुए तथा पालना भी नहीं हुई। अतः प्रारम्भिक आपतिया खारिज की जाकर, अपील को मेरिट पर मानकर, निर्णित की जाकर स्वीकार की जावे।

7. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 13 की ओर से अपील का जबाब पेश कर अभिकथित किया कि वादग्रस्त भूमि पहले भभूतसिंह के पिता फतेहसिंह के नाम दर्ज थी। सम्वत् 2012 के सर्वे के बाद भभूतसिंह के नाम खुदकाश्त भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 में दर्ज है। भभूतसिंह का सन् 1994 में देहान्त हुआ। उन्होंने अपने जीवनकाल में ही गैरकानूनी बंटवारा करके मोहनसिंह के चारों पुत्रों चनणसिंह, जोधसिंह, छतरसिंह, भीकसिंह के नाम अलग–अलग बांट दी। कुछ भूमि का भभूतसिंह ने बेचान भी किया। शेष भूमि भभूतसिंह की मृत्यु होने पर आज तक पुत्र मोहनसिंह, भोजराजसिंह व नवलसिंह के नाम दर्ज नहीं हुई है, जबकि तीनो पुत्रों का बराबर हिस्सा है, जो गलत है। मोहनसिंह के चारों पुत्र रिकार्डेड खातेदार नहीं होने पर भी भभूतसिंह ने चारों को भूमि दे दी, अतः बंटवारा आदेश क्षेत्राधिकार से परे है। तथा ऐसे गैर कानूनी आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरणकरण भी गलत है, जिसे कभी भी अपास्त किया जा सकता है।

मोहनसिंह ने भभूतसिंह के जीवनकाल में ही दावा करके 302 बीघा भूमि पर खातेदारी प्राप्त कर ली, परन्तु निर्णय व डिक्री की पालना नहीं होने से 12 वर्ष के बाद कानूनन डिक्री शून्य है, परन्तु मोहनसिंह ने उक्त डिक्री व आदेश की पालना कराए बिना ही, उसी भूमि को खातेदारी अपने पिता भभूतसिंह व चारो पुत्रों की सहमति से, बंटवारा में चारो पुत्रो को दे दी,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जबकि मोहनसिंह के चारों पुत्र रिकार्ड में सहखातेदार दर्ज ही नहीं थे। ऐसा बंटवारा सिर्फ दावा दायर करके खातेदारी अधिकारो की घोषणा के वाद ही हो सकता है। अतः नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त सभी खातेदारों को पक्षकार ही नही बनाया गया, जो कि जरूरी है जिसमें भोजराजसिंह व नवल सिंह प्रमुख है, इनका बंट ही नही दिया। नवलसिंह को 1/3 हिस्सा नहीं दिया। नवल सिंह की मृत्यु के बाद, खीव सिंह को भी हिस्सा नहीं दिया तथा खीव सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र/पुत्रियों को भी हिस्सा नही दिया, जो अपीलांट्स है तथा इनका 1/3 हिस्सा बनता है, अतः धारा 53(4) के तहत् सभी सहखातेदारों की सहमति के बिना किया गया बंटवारा व नामान्तरकरण अवैध होने से खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त बंटवारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस/उनके पूर्वजो को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया। अपीलांट्स के साथ दोहरा अन्याय हुआ है, प्रथमतः भभूतसिंह ने कुछ भूमि मोहनसिंह को दे दी तथा द्वितीयतः भभूतसिंह की मृत्यु के बाद आज दिन तक नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने से अपीलांट्स न्याय से महरूम है।

तहसीलदार जोधपुर के समक्ष आपसी सहमति से बंटवारा करने बाबत् कोई लिखित प्रस्ताव पेश ही नहीं हुआ, न तो अपीलांट की सहमति थी, न ही उन्हे पक्षकार बनाया गया, न ही नोटिस दिया तथा न ही धारा 53 व नियम 18 से 21 तक के प्रावधानों की पालना की गई।

अतः अपील स्वीकार की जाकर मीट्स एवं बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जावे तथा आदेश दिनांक 29.11.1972, नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 को निरस्त किया जावे तथा नया बंटवारा करके रिकार्ड में अंमल दरामद किया जावे।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 तक की ओर से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद कानून का जवाब पेश किया तथा कथन किए है कि मोहनसिंह ने सहायक कलक्टर, जोधपुर के समक्ष वाद संख्या 40/1967 पेश किया जिसमें पालना में ही तहसीलदार जोधपुर ने नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 दिनांक 29.11.1972 को स्वीकार किए है, जो बहाल है। अतः अपील चलने योग्य नहीं है। भोजराज सिंह के पुत्रो द्वारा प्रस्तुत अपील से

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जानकारी होने का कथन असत्य है। अपीलांट्स को शुरू से ही जानकारी थी।

प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 की ओर से सहायक कलक्टर, लूणी में प्रस्तुत वाद संख्या 70/2023 में अपीलांट्स पक्षकार थे। अपीलांट संख्या 2 से 5 व 7 तथा प्रतिवादी संख्या 9 से 13 की ओर से जरिए अधिवक्ता दिनांक 20.09.2023 को वकालतनामा पेश किया है।

अपीलांट्स को दिनांक 20.09.2023 को वाद व वाद में वर्णित तथ्यों की भलीभांति जानकारी हो गई थी तथा वाद में स्पष्ट रूप से नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 का वर्णन किया गया है। इस प्रकार दिनांक 20.09.2023 को जानकारी होने की तिथि से यह अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है। अतः म्याद के बिन्दु पर अपील ही खारिज योग्य है। अपीलांट ने यह अपील 52–53 वर्ष बाद स्पष्ट रूप से म्याद बाहर पेश की है तथा प्रार्थना पत्र में गलत कथन किए है, उक्त वाद संख्या 70/2023 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के आधार पर वाद दिनांक 10.07.2024 को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध न्यायालय RAA जोधपुर में अपील संख्या 127/2024 भी दिनांक 15.04.2025 को खारिज की जा चुकी है। इस तरह इन्ही पक्षकारों के मध्य व इसी भूमि बाबत् वाद व डिक्री की अपीले खारिज हो चुकी है। वाद ग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों का निर्णय तो मूलवाद व डिक्री अपील में ही किए जाते है। नामान्तरणकरण की अपील में पक्षकारों के अधिकारों को तय नहीं किए जाते है। अतः प्रस्तुत अपील म्याद बाहर पेश होने मात्र के आधार पर ही खारिज की जावे। जवाब के समर्थन में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी के वाद सं. 70/2024 की आदेशिका की नकले, वाद पत्र व RAA जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2025 की फोटो प्रतियां पेश की।

9. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री गुलाब सिंह चम्पावत ने अपील मीमों में वर्णित अभिकथनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 ने तहसीलदार जोधपुर को भभूतसिंह की आराजी का विभाजन करने हेतु मिलावट किया। भभूतसिंह के तीन पुत्र भोजराजसिंह, मोहनसिंह व नवलसिंह थे। पिता मोहनसिंह के जीवनकाल में ही पोतों ने दादा से भूमि प्राप्त कर ली, जबकि वे रिकार्ड में सहखातेदार नहीं थे। उन्हें सबसे पहले धारा 88 में

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अंपने हकों की घोषणा हेतु दावा पेश करना चाहिए था तथा संयुक्त सहदायिकी पुश्तैनी भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाते तथा फिर धारा 53 में हिस्से अनुसार बंटवारा करवाते, परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सन् 1971 में मोहनसिंह ने अपने पिता भभूतसिंह के विरूद्ध दावा पेश कर करीब 300 बीघा भूमि की इकबाली डिक्री प्राप्त कर ली, जिसमें नवलसिंह के वारिशान को पक्षकार ही नहीं बनाया तथा बाले–बाले पुश्तैनी आराजी में अपने हिस्से से बहुत अधिक भूमि की डिक्री प्राप्त की, परन्तु डिक्री में पारित आदेश की पालना में मोहनसिंह ने अपने नाम रिकार्ड में भूमि दर्ज नहीं कराई तथा डिक्री का विधि अनुसार निष्पादन कराया ही नहीं, जिसके कारण जानकारी के अभाव में अपीलांट्स अपने हकों बाबत् एतराज/अपील पेश ही नहीं कर सके।

मोहनसिंह ने तहसीलदार जोधपुर से मिलावट करके अपने चारों लड़के, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तक के नाम नामान्तरकरणों के जरिये भभूतसिंह की आराजी का बंटवारा करवा लिया। जब मोहनसिंह के नाम डिक्री जारी हो गई थी, तो भभूतसिंह के तो कोई अधिकार विभाजित की गई आराजी में शेष रहे ही नहीं, फिर भभूतसिंह व चारों पोतों के नाम आपसी सहमति से बंटवारा किस कानून के आधार पर किया गया। पिता के जीवित रहते मोहनसिंह, नवलसिंह या भोजराज सिंह अपने हक में बंटवारा करा ही नहीं सकते थे। वास्तव में बंटवारा आदेश जारी ही नहीं हुआ, क्योंकि रिकार्ड में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध ही नही है, अगर आदेश हुआ भी है तो वह एब इनिशियों वोईड है। सरपंच को म्युटेशन पारित करने की शक्तियां ही नहीं थी। सरपंच ने म्युटेशन किस तारीख को, किस प्रस्ताव संख्या की पालना में, आदेश पारित किया है, इसका उल्लेख नामान्तरकरण की परतों पर अंकित नहीं है। मोहनसिंह को अधिकतम 1/4 हिस्सा ही मिल सकता था, क्योंकि भभूतसिंह जीवित थे।

आरम्भतः शून्य आदेश को या बिना अभिलेख के आदेश को, कभी भी निरस्त किया जा सकता है। देरी को कन्डोन करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र की भी जरूरत ही नहीं है।

अतः तहसीलदार द्वारा पारित विधि विरूद्ध आदेश व नामान्तरकरण निरस्त किए जावे।

जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

10. प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 (भोजराज सिंह के वारिशान) की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री दिनेश सीरवी ने अपीलांट्स की अपील का समर्थन करते हुए अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथनों का समर्थन किया तथा विभाजन आदेश व नामान्तरकरण निरस्त किये जाकर भभूतसिंह के कानूनी वारिशान के नाम पूरी आराजी में नामान्तरकरण दर्ज करने का तर्क किया। इनका यह भी कथन है कि मोहनसिंह ने वाद सं. 40/1967 में जो डिक्री प्राप्त की थी, उसमें नवलसिंह के वारिशान को पक्षकार ही नहीं बनाया। अतः नवलसिंह के वारिशान शून्य व अवैध डिक्री से बाध्य नहीं है तथा उनके विरूद्ध रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता। नवलसिंह की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी तथा पुत्र खीवसिंह नाबालिग था, परन्तु खीवसिंह की माता अपीलांट संख्या 1 अगर कंवर को पार्टी ही नहीं बनाया गया।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 के विद्वान् अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बावरला ने बहस करते हुए कथन किया कि यह अपील 55 वर्ष की देरी से पेश की गई है। सहायक कलक्टर कोर्ट से सन् 1971 में वाद सं. 40/67 में मोहनसिंह के पक्ष में डिक्री पारित हो चुकी थी। मोहनसिंह के उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 दर्ज कर पारित किए गए हैं, उक्त डिक्री की अपील नहीं की गई है। उक्त डिक्री बहाल है, जब तक डिक्री अपास्त नही की जाती, तब तक डिक्री आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरकरणों को निरस्त नहीं किया जा सकता।

प्रत्यर्थी सं. 8 से 13 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी (जोधपुर) में वादसंख्या 70/2023 पेश किया था, जिसमें हमारे द्वारा, आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर रेस ज्युडिकेटा सिद्धान्त के आधार दावा खारिज हुआ, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी 8 से 13 ने RAA जोधपुर में अपील संख्या 127/2024 पेश की थी, वह भी दिनांक 15.04.2025 को खारिज हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी में हक हकूकों का निर्धारण नियमित वाद दायर करके किया जाना चाहिए, नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में टाइटल का निर्धारण नहीं हो सकता। अतः नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश करने का अपीलांट्स को कोई अधिकार ही नहीं है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

1972 के आदेश के विरूद्ध 2024 में अपील पेश की है, जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया है। अतः सबसे पहले म्याद के बिन्दू को तय किया जावे। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के पैरा 3 में स्वयं ने स्वीकार किया है कि उन्हें डिक्री व नामान्तरकरणों की जानकारी, उप खण्ड अधिकारी, लूणी में दायर दावा से हुई, जिसमें अपीलांट्स पार्टी थे। इससे साबित है कि अपीलांट्स को पहले से ही प्रकरण की जानकारी थी तथा अपीलांट की ओर से 20.09.2023 को वकालतनामा पेश किया, फिर भी अपील एक वर्ष बाद में पेश की है। अतः अपील म्याद बाहर है तथा इसी आधार पर अपील खारिज की जावे।

इनका यह भी कथन है कि अपीलांट ने अपील के साथ अपीलाधीन आदेश की प्रति पेश नहीं की, जो रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल पार्ट प्रथम के नियम 17 अनुसार आज्ञात्मक है तथा इसके अभाव में अपील संधारण योग्य नही है।

12. प्रत्यर्थी सं. 1 से 7 तक की बहस के प्रत्युत्तर में, प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 तक के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नामान्तरकरण डिक्री की पालना में नहीं दर्ज किए है, डिक्री का कोई अंकन नामान्तरकरण के कॉलम 14 में नहीं है डिक्री मोहनसिंह के पक्ष में जारी की गई है, जबकि मोहनसिंह के पक्ष में सिर्फ घोषणा की डिक्री जारी की गई है। कॉलम सं. 14 में तहसीलदार के आदेश का हवाला है। इससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण तहसीलदार के बंटवारा आदेश के लिए खोला है।

डिक्री का निष्पादन नहीं कराया गया है तथा 12 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण, अब डिक्री विधि की नजर में निष्प्रभावी हो गई है। उसकी अपील करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें डिक्री की जानकारी SDO, लूणी के न्यायालय में दायर वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सन् 2024 में हुई।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **1985 AIR SC 606** में यह मत प्रतिपादित किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, विधवा, अनपढ़, कानून की जानकारी नही रखने वाले लोगों के मामले में म्याद कानून को लागू करते वक्त उदार दृष्टिकोण अपना कर, मेरिट के आधार पर सुनवाई कर न्याय

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

करना चाहिए। इस प्रकरण में नवलसिंह की मृत्यु सन् 1953–54 में ही हो चुकी थी। नवलसिंह का पुत्र खींवसिंह नाबालिग था तथा विधवा अपीलांट एक पर्दाशीन औरत थी, जिन्हें सहायक कलक्टर के न्यायालय में एकपक्षीय की गई कार्यवाहियों की जानकारी नहीं हो पायी। अतः अपील को अन्दर म्याद सुमार की जाकर, अपील मेरिट पर निर्णित कर न्याय किया जावे।

13. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता, श्री गुलाबसिंह चाम्पावत ने रिबटल बहस में कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 पर तहसीलदार के आदेश का अंकन है तथा बंटवारा मोहनसिंह के चारों पुत्रों के बीच किया गया है तथा आराजी भभूतसिंह की पुश्तैनी संयुक्त परिवार की है, जिसमें भंभूतसिंह के तीनो पुत्रों का जन्म से ही अधिकार है, परन्तु अपीलांट्स को आवश्यक पक्षकार संयोजित किए बिना ही पक्षपात पूर्ण, मनमाने तरीके से सिर्फ मोहनसिंह के पुत्रों के ही पक्ष में बंटवारा कर रिकार्ड तैयार किया है तथा उनको 1/4 हिस्से से अधिक भूमि, 303.15 बीघा दे दी गई है, तहसीलदार को आराजी बंटवारा करने के अधिकार सिर्फ धारा 53 के अन्तर्गत है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील सिर्फ धारा 225 के अन्तर्गत ही हो सकती है तथा तहसीलदार के बंटवारा आदेश को निरस्त करवाने हेतु सहायक कलक्टर न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। अपीलांटस कभी भी सहायक कलक्टर के वाद संख्या 40/1967 में पक्षकार ही नहीं थे, अतः उनके विरूद्ध रेस ज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी सं. 1 से 7 के विद्वान अधिवक्ता ही बता दे कि तहसीलदर के उक्त आदेश के विरूद्ध उपचार किस अपीलीय न्यायालय में उपलब्ध है। हमें सर्वप्रथम 2024 में तथाकथित डिक्री की जानकारी हुई है, जिसका निष्पादन ही नहीं कराया गया तथा वह म्याद बाहर होने से विधि वर्जित है। डिक्री की पालना में दर्ज नामान्तरकरण, जमाबंदी या निष्पादन आदेश की प्रति प्रत्यर्थी 1 से 7 ने पेश नहीं की है, यह भार उन पर है। चूंकि डिक्री अवधि बाधित हो गई है, अतः अब ऐसी शून्य डिक्री की अपील नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त पिता के जीवनकाल में पुत्र घोषणा की डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता। चूंकि डिक्री कानून की नजर में Null and Void थी, जिसका निष्पादन संभव ही नहीं था, तब मोहनसिंह ने विधि विरूद्ध तरीके से, भभूतसिंह से सांठगांठ करके,

जोधपुर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपने पुत्रों के पक्ष में ही हिस्से से अधिक भूमि का विभाजन करवा लिया, जो कि उस समय सहखातेदार ही नहीं थे।

इसके अतिरिक्त विभाजन का आदेश ही जारी नहीं हुआ तथा अपीलांट उसमें पक्षकार ही नहीं थे, तो ऐसे Non-est आदेश की जानकारी अपीलांट्स की हो ही नहीं सकती। जब हमें अवैध आदेश की जानकारी मिली तो, हमने प्रयास करके, कागजात प्राप्त कर यह अपील पेश की है, जिसमें हुई देरी सद्भाविक है तथा अपीलांट्स ने जानबूझकर लापरवाही नहीं बरती है तथा अपने जन्मसिद्ध साम्पतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिये यह अपील पेश की है। अतः नरमी का रूख अपनाकर अपील स्वीकार की जावे। इन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए तथा कथन किया कि क्षेत्राधिकारिता के परे, कानूनी प्रावधानों के विपरीत पारित शून्य आदेश कभी भी अपास्त किए जा सकते है तथा प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करना न्यायोचित है। अपीलांट्स को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत् जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो चुके है, जिन्हें म्याद के तकनीकी आधारों पर समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो उनका आधारभूत मौलिक अधिकार है, जिसके कारण अपीलांट्स के प्राकृतिक न्याय के अधिकारों का गंभीर रूप से हनन हुआ है। एकपक्षीय आदेश पारित किए है, अतः अपील स्वीकार की जावे।

(1) 2024(1) RRT97, 2023(1)RRT357, 2022(2)RRT1047, 2022(2)RRT1175, 1984RRD-712

(2) म्याद बिन्दू पर–

1985 AIR 606, 1998 RRD 319, 2023 (2) RRT 1241, 2009 RRD 195, 2008 RRD 807, 2002 RRD 65, 2002(1)RRT648, 2009RRD776, 1993RRD411, 2024(1)RRT375, 2023(2)RRT115, 1994RRD606, 1999RRD302, 2009(2)RRT1102, 2008RRD842, 2017(2)RRT1401, 2023(2)RRT415

14. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिवचनों का भलीभांति अध्ययन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौरानें बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर मनन किया। न्यायिक दृष्टांतों

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

का सम्मान से अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। न्यायालय का विनिश्चय इस प्रकार है –

(a) अपील भीमों एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी में प्रस्तुत वाद संख्या 70/2023 में वर्णित अभिवचनानुसार अपीलांटस व प्रत्यर्थीगण के पूर्वज श्री भभूतसिंह पुत्र फतेहसिंह के नाम निम्न विवरण की भूमि खातेदारी में दर्ज थी।

(अ) ग्राम लूणावास खारा

क्र. स.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रकबा है. में
1.	736	10–06	1.6673
2.	1055	21–13	3.5046
3.	97	37–17	6.1350
4.	114	58–17	9.5263
5.	116	23–13	3.8283
6.	117	47–13	7.7133
7.	118	21–17	3.5369
8.	119	20–15	3.3589
9.	128	16–03	2.6224
10.	120	74–17	12.1163
11.	151	25–15	4.1683
12.	725	19–06	3.1242
13.	131	09–02	1.4650
14.	80/1	09–06	1.5054
15.	998	07–07 (15–15 में 1/2)	1.2447
16.	115	00–14	0.1133

(ब) ग्राम परिहारों की ढाणी (लूणावास खारा अलावा जोत मुमकीन)

क्र.स.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रकबा है. में
1.	810	21–13	3.5046

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2.	377	08–17	1.4326
3.	378	08–11	1.3840
4.	379	11–09	1.8535

(स) ग्राम जोगियासनी

क्र.स.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रकबा है. में
1.	74	23–09	3.7959
2.	81	21–12	3.4965

वंशावली

भभूतसिंह पुत्र फतेहसिंह (फौत)

मोहनसिंह (फौत)	नवलसिंह (फौत)	भोजराजसिंह (फौत)
चनणसिंह (पुत्र)	अगर कंवर (पत्नी)	हुकमसिंह (पुत्र)
जोधसिंह (पुत्र)	खीवसिंह पुत्र (फौत)	भंवरसिंह (पुत्र)
छतरसिंह (पुत्र)		उच्छब कंवर (पुत्री)
भीकसिंह (पुत्र)	लहर कंवर (पत्नी)	लीला कंवर (पुत्री)
सोनकंवर (पत्नी)	सिरू कंवर (पुत्री)	भंवर कंवर (पुत्री)
उमराव कंवर (पुत्री)	भंवर सिंह (पुत्र)	फुलकंवर (पत्नी)
पान कंवर (पुत्री)	ओमसिंह (पुत्र)	
	गजे सिंह (पुत्र)	
	बाबू सिंह (पुत्र)	

(b) प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 की ओर से प्रस्तुत अभिलेख अनुसार, भभूतसिंह के पुत्र मोहनसिंह ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर में वाद संख्या 40/1967 दिनांक 15.07.1967 को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत पेश किया। न्यायालय ने दिनांक 30.11.1971 को निर्णय व डिक्री पारित कर, वादी मोहनसिंह को ख. नं. 114, 116, 117, 118, 119, 120, 151, 725,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

736 व 80/1 (कुल 10 दस) खसरा की 302–19 बीघा का खातेदार घोषित किया तथा डिक्री जारी की गई। इस वाद में भभूतसिंह व उनका एक पुत्र भोजराज सिंह प्रतिवादी थे अर्थात् भभूतसिंह का एक पुत्र नवलसिंह या उसके वारिशान न तो वादी था तथा न ही प्रतिवादी था। इस डिक्री का विधि अनुसार निष्पादन होकर राजस्व अभिलेखों में सर्वप्रथम वादी मोहनसिंह के नाम आराजी को रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई नामान्तरकरण पेश नही किया, जिससे यह साबित हो कि वादी मोहनसिंह को खातेदार के रूप में रिकार्ड में दर्ज कर लिया हो। न्यायालय सहायक कलक्टर ने उक्त निर्णय व डिक्री के माध्यम से मोहनसिंह के पुत्रों के मध्य उक्त ख. नं. की भूमि का विभाजन करने की डिक्री जारी नही की है तथा न ही ये चारों पक्षकार थे।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 207, 214, 215 व 217 के प्रयोजनार्थ एक्ट के संलग्न तृतीय अनुसूची के क्रमांक 83 अनुसार डिक्री के निष्पादन हेतु प्रार्थना पत्र डिक्री पास करने वाले न्यायालय में, सिविल न्यायालय द्वारा जारी डिक्री का निष्पादन करने हेतु विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

सिविल न्यायालयों द्वारा जारी डिक्रीयों का निष्पादन सी पी सी के आदेश 21 में वर्णित नियम 1 से 106 तक में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है तथा इसमें टिनेन्सी एक्ट की चतुर्थ अनुसूची में दिए गए अपवाद लागू नही होगे, जिसमें आर्डर 21 के नियम 37, 38, 39 एवं 40 के प्रावधान राजस्व न्यायालय द्वारा जारी डिक्रीयों के निष्पादन में लागू नही होगे, जो गिरफ्तारी और सिविल कारावास में निरोध/विरूद्ध से सम्बन्धित है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 208 के अनुसार सी. पी. सी. 1908 के प्रावधान राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया में लागू होते है एवं सी.पी.सी. के आदेश 41 के नियम 1 से 37 तक के प्रावधान राजस्व न्यायालयों में प्रस्तुत अपीलों में लागू होते है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपील में, विचारण न्यायालय द्वारा पारित

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश अपील में विचारण न्यायालय द्वरा पारित आदेश में Merge हो जाता है तथा अपीलांट न्यायालय को विचारण न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त है। अतः अपीलांट्स के विद्वान् अधिवक्ता के इस कथन से, कि राजस्व अपीलों में सी पी सी के प्रावधान लागू नही होते है तथा प्रारंम्भिक आपत्तिया ग्रहण नहीं की जा सकती, हम सहमत नही है।

सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रीयों का निष्पादन करने की प्रक्रिया संस्थित करने के लिए म्याद अधिनियम, 1963 के संलग्न अनुसूची के आर्टिकल 136, अनुसार डिक्री निष्पादन योग्य होने की तिथि से बारह वर्ष की अवधि निर्धारित है। इस प्रकारण में सहायक कलक्टर, जोधपुर द्वारा वाद संख्या 40/1967 में अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 30.11.1971 को पारित की गई है, जिसकी अपील किया जाना नहीं पाया जाता है, तथा दिनांक 30.11.1971 से 12 वर्ष की अवधि में निष्पादन करने का आदेश सहायक कलक्टर, जोधपुर द्वारा पारित नहीं किया गया है या निष्पादन कार्यवाही लम्बित हो, ऐसा कोई तथ्य इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। फलतः न्यायालय सहायक कलक्टर, जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/1967 में पारित डिक्री व निर्णय, डिक्री निष्पादन हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद से शून्य व निष्प्रभावी हो गई है। इस अपील के अपीलांट्स सहायक कलक्टर के न्यायालय मे वाद में पक्षकार ही नहीं थे। अतः अपीलांट्स के विरूद्ध रेस ज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता।

(c) (i). नामान्तरकरण संख्या 177 से कॉलम संख्या 5 में खातेदार का नाम भभूतसिंह पुत्र फतेहसिंह दर्ज है तथा कॉलम संख्या 14 में नामान्तरकरण तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 29.11.1972 से दर्ज करने का अंकन है तथा कॉलम संख्या 11 में चनणसिंह पुत्र मोहनसिंह के नाम ख. नं. 115, 114 व 725 की कुल 78–17 बीघा भूमि अंकित की है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

इसी प्रकार कॉलम संख्या 11 में जोधसिंह पुत्र मोहनसिंह के नाम ख. नं. 116, 117 की 71–06 बीघा भूमि दर्ज की है अर्थात् भभूतसिंह के नाम दर्ज उक्त ख. नं. की भूमि सीधे ही चनणसिंह व जोधसिंह को स्वतंत्र रूप से दी है, जिसकी वर्तमान जमाबंदी अपीलांट्स द्वारा खाता संख्या 41, 30, 71, ग्राम विष्णु की ढाणी, सम्वत् 2076–2079 की जमाबंदी में दर्ज है अर्थात् नामान्तरकरण 177 में सहायक कलक्टर की डिक्री का कोई हवाला नहीं है।

(ii). इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 178 में भी कॉलम संख्या 5 में भभूतसिंह पुत्र फतेहसिंह नाम दर्ज है तथा कॉलम संख्या 14 में तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 25.11.1972 का हवाला दिया है तथा कॉलम 11 में ख. नं. 118, 119, 151 व 736 की कुल 78–15 बीघा भूमि छंतरसिंह पुत्र मोहनसिंह के नाम दर्ज की है जिसकी वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076–79 ग्राम लूणावास खारा की खाता सं. 83 व 35 (विष्णु की ढाणी) है।

इसी प्रकार ख. नं. 120 रकबा 74–17 बीघा भूमि इसी नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 11 में भीकसिंह पुत्र मोहनसिंह के नाम दर्ज की है तथा इस नामान्तरकरण सं. 178 में सहायक कलक्टर की डिक्री का कोई हवाला ही नही है।

(d) उपर्युक्त अभिलेखीय स्थिति से निष्कर्ष निकलता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 30.11.1971 से मोहनसिंह के पुत्र श्री चनणसिंह, जोधसिंह, छतरसिंह व भीकसिंह के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की है तथा न ही इन चारों के मध्य आराजी का विभाजन करके धारा 53 के तहत् बंटवारा की डिक्री जारी की है। डिक्री व निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्री सिर्फ मोहनसिंह के पक्ष मे पारित की गई है, जिसमें अपीलांट पक्षकार नहीं थे। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 तक के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन कि नामान्तरकरण संख्या 177 व 178, सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.1971 की पालना में खोला गया है, मान्य नहीं किया जा सकता। उक्त वस्तुस्थिति के विपरीत, नामान्तरकरण संख्या 177 व

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

178 तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 29.11.1972 व 25.11.1972 की पालना में नामान्तरकरण के कॉलम 14 में अंकित विवरण अनुसार दर्ज करना पाया जाता है। यह न्यायालय अपीलांट्स के इस तर्क से पूर्णतः सहमत है कि जब चनणसिंह, जोधसिंह, छतरसिंह व भीकसिंह पुत्र मोहनसिंह, अभिलिखित सहखातेदार ही नहीं थे, तथा नामान्तरकरणों में भभूतसिंह को ही खातेदार दर्ज बताया है, जो बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के इनकों सहखातेदार मानकर आपसी बंटवारा नहीं किया जा सकता, जबकि इनके पिता मोहनसिंह को खातेदार दर्ज ही नहीं किया है तथा वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी संयुक्त परिवार की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि है। अगर पिता के जीवनकाल में पुत्रों द्वारा अपने हकों की मांग की जाकर बंटवारा करने की मांग की भी जाती है, तो संयुक्त परिवार को समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सहमतिपत्र में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित करना आज्ञात्मक है। इस न्यायालय के समक्ष भभूतसिंह व उनके तीनों पुत्र मोहनसिंह, भोजराजसिंह व नवलसिंह व भभूतसिंह के पौत्रों द्वारा निष्पादित लिखित सहमति पत्र व उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पेश नहीं किया तथा तहसीलदार जोधपुर ने पत्रांक भू.अ/2025/3581 दिनांक 27.05.2025 व नवसृजित वर्तमान तहसील झंवर के पत्रांक भू. अ./2025/760 दिनांक 21.05.2025 से इस न्यायालय को अवगत कराया है कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 29.11.1972 से संबंधित अभिलेख, उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है तथा न ही प्रत्यर्थीगण ने बंटवारा का उक्त रिकार्ड पेश किया है। प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 7 तक का कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 30.11.1971 की पालना में ही खोला गया है, परन्तु उन्होने भी अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किया है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया गया है कि एक ही डिक्री के दो नामान्तरकरण खोलना तथा डिक्री की पालना में डिक्रीधारी मोहनसिंह के पक्ष में इन्द्राज नहीं करना, यह साबित करता है कि उक्त दोनों

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामान्तरकरण सं. 177 व 178 सहायक कलक्टर, जोधपुर द्वारा जारी डिक्री दिनांक 30.11.1971 की पालना में नहीं खोले गए है तथा ये दोनो नामान्तरकरण तहसीलदार के आदेशों के आधार पर खोले जाना प्रथम दृष्ट्या साबित है, जिसमें भभूतसिंह व उनके सभी वारिशान की सहमति के बिना ही, केवल मोहनसिंह के चारों पुत्रों को ही ख. नं. 115, 114, 725, 116, 117, 118, 119, 151, 736 व 120 कुल 303–15 बीघा भूमि, भभूतसिंह की खातेदारी में से आंवटित की गई है, जिसमें भभूतसिंह के अन्य पुत्र भोजराज सिंह व नवलसिंह की कोई सहमति ही नहीं थी जबकि इनका भी पुश्तैनी भूमि में हक हिस्सा व अधिकार था।

(e) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 53(2) में सभी सहखातेदारान की आपसी सहमति के आधार पर ही आराजी का विभाजन इकरारनामा के आधार पर तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है। अगर सभी सहखातेदारान में आपसी सहमति नहीं है, तो उन्हें सहायक कलक्टर के न्यायालय में धारा 53 के तहत् नियमित वाद दायर करना होगा तथा न्यायालय मीट्स एवं बाउण्ड के आधार पर राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 तक में विहित प्रक्रिया का पालना करते हुए आराजी विभाजन की डिक्री पारित करेगा तथा अंतिम डिक्री अनुसार ही निष्पादन पश्चात् रिकार्ड, मौके पर अमल दरामद किया जाता है।

(i) उक्त व्यवस्था बाबत् अपीलांट्स के विद्वान् अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है।

अपीलांट के विद्वान् अधिवक्ता ने 2024 (1) **RRT97** की नजीर पेश कर कथन किया है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा में सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है। इसमें प्रतिपादित मत से हम सहमत है।

(ii) इसी प्रकार–2023 (1) **RRT358** की नजीर पेश कर तर्क दिया कि सिर्फ सहखातेदार ही बंटवारा करने की प्रार्थना कर सकते है। इस मत से हम सहमत है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(iii) इसी प्रकार 2022(2) **RRT1047** की नजीर पेश कर कथन किया कि पिता के जीवन काल में पुत्र सम्पति में अधिकार या टाइटल की मांग नही कर सकता। इसमें सम्पति स्वअर्जित थी। अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होती है। हस्तगत सम्पति पुश्तैनी है।

(iv) इसी प्रकार 2022(2) **RRT1175** की नजीर पेश कर कथन किया कि पिता के जीवन में पुत्र सम्पति में अधिकार नही मांग सकता, उक्त प्रकरण में हकतर्कनामा व गिफ्ट डीड को चैलेन्ज नही किया गया था। अतः हस्तगत प्रकरण में उक्त नजीर में प्रतिपादित मत चस्पा नहीं होता है।

(v) इसी प्रकार 1984 **RRD712** की नजीर पेश करते हुए कथन किया कि अनरिकोर्डेड को टिनेन्ट सिर्फ धारा 53 में दावा पेश नही कर सकता। उसे सर्वप्रथम धारा 88 में अधिकारों की घोषणा करवानी होगी। इस मत से हम सहमत है। परन्तु अगर पैतृक कृषि भूमि है तो सभी सहखातेदार आपसी लिखित सहमति से पिता के जीवनकाल में भी आराजी का विभाजन करवा सकते है, उन्हें नियमित वाद दायर करने की आवश्यकता नही है। इस सम्बन्ध में भूमिधारी राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का पत्रांक–प–5(1)राज–6/97/10 दिनांक 08.09.1997 से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, ताकि वाद बाहुल्यता को रोका जा सके एवं कृषकों को त्वरित न्याय मिल सके।

(f) इस प्रकार उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण से स्पष्ट है कि दो अलग अलग नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 से सिर्फ मोहनसिंह के चार पुत्रों को ही 303–15 बीघा भूमि; अन्य हितबद्ध सहखातेदारों की सहमति के बिना एक पक्षीय आदेश से आवंटित की है। विधि की नजर में इस प्रकार का आदेश प्रारंभतः ही शून्य व अवैध है तथा ऐसे शून्य आदेश की विधिक रूप से हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों के विरूद्ध शून्य व बेअसर है तथा ऐसे अवैध आदेशों से अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(g) तहसीलदार द्वारा टिनेन्सी एक्ट, 1955 के तहत् पारित आदेश के विरूद्ध अपील, धारा 225 के अन्तर्गत इस न्यायालय में पोषणीय है तथा यह न्यायालय ऐसे आदेशों की औचित्यता एवं वैधता का परीक्षण करने में सक्षम है। इसका कोई अन्य विकल्प भी विधि में उपलब्ध नहीं है। आराजी विभाजन में धारा 53 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर व तहसीलदार का समतुल्य क्षेत्राधिकार है। तहसीलदार का आदेश सहायक कलक्टर के अधीन नहीं है।

(h) चूंकि विवादग्रस्त आराजी अपीलांट के परदादा भभूतसिंह के मालिकाना हक की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त परिवार की खातेदारी की भूमि है तथा अपीलांट्स भभूतसिंह के जायन्दा पुत्र नवलसिंह के वारिशान है तथा अपीलांट्स का जन्म से ही भभूतसिंह की सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत् हक, अधिकार, स्वत्व उत्पन्न हो गया था एवं अपीलांट निश्चित रूप से नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 में वर्णित आदेश व उस पर पारित एक पक्षीय एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित आदेशों से स्वभाविक रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। अतः ऐसे आदेशों के विरूद्ध धारा 225 के तहत् अपील के सांविधिक अधिकार के तहत्, अपीलांट यह अपील पेश करने के अधिकारी है। अतः अपीलांट द्वारा धारा 96 सी पी सी के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील को न्याय हित में सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है।

(i) अपीलांट ने राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल (भाग प्रथम) के नियम 17 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.1972 की प्रमाणित प्रति को पेश करने से छूट इस आधार पर मांगी है कि यह आदेश तहसील लूणी में उपलब्ध नही है तथा प्राप्त होते ही पेश कर देगे। प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की है, जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 की प्रति पटवारी लूणावास खारा से प्राप्त करने की हिदायत दी है तथा आदेश दिनांक 29.11.1972 की प्रति उपलब्ध नहीं होना अंकित किया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है। लूणी तहसील का सृजन, मूल तहसील जोधपुर में हुआ है तथा अब लूणी तहसील से झंवर तहसील सृजित हुई है। अतः इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार जोधपुर व झंवर से भी आदेश दिनांक 29.11.1972 व संबंधित पत्रावली तलब की गई, परन्तु तहसीलदार झंवर ने पत्रांक 824 दिनांक 26.05.2025 से तथा तहसीलदार जोधपुर ने पत्रांक 3581 दिनांक 27.05.2025 से वांछित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने बाबत् सूचित किया है। अपीलांट ने पटवारी लूणावास खारा से नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अतः तथ्यात्मक स्थिति व प्रकरण की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपील के साथ अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 79 सपठित नियम 17/30 राजस्थान कोर्ट्स मेन्युअल (भाग प्रथम) के अन्तर्गत न्यायहित में छूट प्रदान की जाती है।

15. अब हम अपीलांट द्वारा यह अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना न्यायोचित मानते है।

(a) अपीलांट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजी खतौनी बंदौबस्त सम्वत् 2011 से 2030 में भभूतसिंह की खातेदारी में दर्ज हुई। भभूतसिंह का सन् 1994 में देहान्त हो गया, तथा अपने जीवनकाल में तीनों पुत्रों को भूमि बंट में नहीं दी। परन्तु गैर कानूनी तरीके से तहसीलदार जोधपुर ने आदेश दिनांक 29.11.1972 से सिर्फ एक पुत्र मोहनसिंह के चारों बेटो के बीच बंटवारा कर दिया, जिसमें अपीलांट्स या उनके दादा नवलसिंह या पिता खींवसिंह की कोई सहमति नहीं थी, जबकि मोहनसिंह के ये चारों पुत्र वाद ग्रस्त आराजी में सहखातेदार ही नहीं थे तथा इनका पिता मोहनसिंह जीवित था, फिर भी भभूतसिंह (दादा) से सीधे ही पोत्रों को हिस्से से अधिक भूमि बंट में दे दी। तहसीलदार का आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से एब इनिशियों वाईड व शून्य है, ऐसे आदेशों को निरस्त करवाने हेतु म्याद कानून के प्रावधान लागू नही होते है। अपीलांट के दादा नवलसिंह का सन् 1953–54 में ही देहान्त हो

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

गया था तथा नवलसिंह के पुत्र खीवसिंह का भी युवावस्था में देहान्त हो गया। अपीलांट समुद्रसिंह वगैरा नाबालिग थे तथा नवलसिंह की पत्नी व खींवसिंह की पत्नी पर्दाशीन औरते थी, जिन्हें अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.1972 की कभी भी जानकारी नहीं थी। अभी भभूतसिंह के अन्य पुत्र भोजराजसिंह के वारिशान ने कोर्ट में अपील पेश की, तब प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। प्रत्यर्थी चनणसिंह पुत्र मोहनसिंह ने दिनांक 11.08.2024 को धमकी दी कि न्यायालय से उनके हक में फैसला हो गया। तुम्हारा इन जमीन पर कोई अधिकार व हक नहीं है, तब तहसीलदार के आदेश की प्रति मांगी। तहसीलदार ने कहा कि आदेश का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 की प्रति पटवारी से दिनांक 12.08.2024 को प्राप्त कर अपील पेश कर दी है तथा न्यायहित में मेरिट पर निर्णय पारित किया जावे, क्योंकि शून्य आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में **1985 AIR 606, 1998 RRD 319, 2023(2) RRT 1241, 2009 RRD 195, 2008 RRD 807, 2002 RRD 65, 2002(1) RRT 648, 2009 RRD 776, 1993 RRD 411, 2024(1) RRT 375, 2023(2) RRT 1115, 1994 RRD 606, 1999RRD302, 2009(2) RRT 1102, 2008RRD842, 2017(2)RRT1401, 2023(1)RRT415**, न्यायिक दृष्टांत पेश किए तथा तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश प्रारंभतः शून्य व बिना क्षेत्राधिकार पारित किया गया है तथा अपीलांट्स या उनके पूर्वज, सहायक कलक्टर, जोधपुर तथा तहसीलदार, जोधपुर द्वारा की गई कार्यवाही में पक्षकार ही नहीं थे। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालयों द्वारा व्यक्त मतों के परिप्रेक्ष्य, में न्यायहित में देरी को क्षम्य किया जाकर अपील का निपटारा मेरिट पर किया जावे।

(b) उक्त कथनों के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 तक का कथन है कि न्यायालय सहायक कलक्टर, जोधपुर ने वाद संख्या 40/1967 में दिनांक 30.11.1971 को डिक्री पारित की है। जिसकी पालना में ही

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 तहसीलदार, जोधपुर के आदेश दिनांक 29.11.1972 द्वारा स्वीकार किये है, जब तक कोर्ट का आदेश निरस्त नहीं होता तब तक नामान्तरकरण अपास्त नहीं किया जा सकता।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी में प्रत्यर्थी सं. 8 से 13 तक ने एक वाद संख्या 70/2023 पेश किया था, जो वादग्रस्त आराजी से ही सम्बन्धित था तथा उसमें अपीलांट्स–प्रतिवादीगण संख्या 8 से 14 तक संयोजित थे। इनकी ओर से वकील ने न्यायालय में 20.09.2023 को उपस्थिति दी तथा न्यायालय ने दिनांक 10.07.2024 को वाद खारिज कर दिया, जिसकी अपील संख्या 127/2024 भी राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 15.04.2025 को खारिज कर दी। इस प्रकार अपीलांट को 20.09.2023 को तो नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 की जानकारी हो ही गई थी तथा वादपत्र में सारे तथ्य वर्णित है। अतः 20.09.2023 से भी अपील म्याद बाहर है। अतः अपील इसी बिन्दू पर खारिज की जावे।

(c) हमनें उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों का अध्ययन किया। विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

अपीलांट्स की ओर से यह अपील तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 29.11.1972 एवं इस एकपक्षीय आदेश की पालना में दर्ज एवं स्वीकृत एकपक्षीय नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 को अपास्त करने हेतु दिनांक 12.09.2024 को पेश की है। प्रकरण के तथ्यों एवं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार पूर्व अनुच्छेदों में किए गए विवेचन व विश्लेषण में स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.1972/29.11.1972 की पालना में दर्ज कर स्वीकृत किए गए है, जो विधि प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है तथा क्षेत्राधिकार से परे पारित आदेश है तथा विधि की दृष्टि से प्रारंभतः ही शून्य व बेअसर आदेश है, जिसमें अपीलांट्स कभी भी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पक्षकार नहीं रहे है। इसी प्रकार उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स या इनके पूर्वजों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे अपीलांट्स के सुनवाई के प्राकृतिक अधिकारों का गंभीर रूप से उल्लघंन हुआ है तथा एकपक्षीय मनमाने तरीके से आदेश पारित किए गए हैं। सहायक कलक्टर, जोधपुर ने वाद संख्या 40/1967 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.1971 से मोहनसिंह के पुत्रों को कभी भी खातेदार घोषित नहीं किया था तथा न ही चारों पुत्रों के मध्य आराजी विभाजन की डिक्री पारित की है। प्रत्यर्थी 1 से 7 तक ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है, कि डिक्री दिनांक 30.11.1971 में अपीलांट्स इनके पूर्वज पक्षकार थे। तहसीलदार जोधपुर ने मनमर्जी से क्षेत्राधिकार के परे जाकर गैर कानूनी तरीके से कुछ चुनिन्दा सहखातेदारों के मध्य भभूतसिंह की पुश्तैनी पैतृक संयुक्त परिवार की आराजी का विभाजन, हकदार व सहखातेदारों की स्वतंत्र सहमति के बिना ही, आराजी का स्वेच्छापूर्ण तरीके से विभाजन किया है, जो अपास्त योग्य है। अपीलांट ने इस अवैध आदेश की जानकारी भोजराजसिंह के पुत्रों द्वारा उपखण्ड अधिकारी, लूणी के न्यायालय में वाद दायर करने के बाद होना बताया है, जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी 1 से 7 के विद्वान् अधिवक्ता ने 20.09.2023 को होना बताया है। यह बात सत्य है कि वाद सं. 70/2023 की आदेश दिनांक 20.09.2023 अनुसार अपीलांट्स की ओर से श्री ईश्वरसिंह अधिवक्ता ने उपस्थिति न्यायालय में की है। यह दावा भी भोजराजसिंह के वारिशान ने प्रत्यर्थी सं. 1 से 7 के विरूद्ध (मुख्य रूप) से किया था जिसमें अपीलांट्स फार्मल पक्षकार है। परन्तु अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 11.08.2024 को प्रत्यर्थी 1 द्वारा धमकी देने की तारीख से होना बताते है तथा 11.08.2024 के बाद 12.08.2024 को नकले प्राप्त करने हेतु तहसीलदार, लूणी एवं तहसीलदार, जोधपुर में आवेदन किया, जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिनांक 21.08.2024 को देने से असमर्थता जताई तथा पटवारी से 12.08.2024 को नामान्तरकरण 177 व 178 की नकले प्राप्त कर, यह अपील 12.09.2024 की पेश की है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रकरण में अपीलांट्स ने पुश्तैनी सम्पति में जन्म से निहित अधिकारों के आधार पर अनुतोष मांगा है तथा अपीलाधीन आदेश एब इनिशियों वाइड व बिना क्षेत्राधिकार के है ऐसे आदेश को न्यायहित में यथावत रखना न्यायोचित नही है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किए है कि एब इनिशियों वाइड व शून्य आदेशों को न्यायहित में अपास्त करने हेतु म्याद के बिन्दू पर ही अपील खारिज करने के बजाय, मेरिट पर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए तथा तकनीकी आधारों पर म्याद बिन्दू पर अपील अस्वीकार नहीं करनी चाहिए।

अतः यह न्यायालय प्रकरण की प्रकृति, परिस्थितियों एवं गंभीर विधिक त्रुटियां अन्तर्वलित होने से, अपील का निस्तारण मेरिट पर किया जाना न्यायोचित मानता है अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर लापरवाही बरतने का तथ्य साबित नहीं होता है तथा देरी अल्प अवधि की सद्भाविक प्रतीत होती है तथा न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई सद्भाविक देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अन्दर म्याद पेश होना सुमार की जाती है। जिसका मेरिट पर निस्तारण किया जाना समग्र न्याय के हित में उचित है ताकि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक रूप से वाद बाहुल्यता को व धन व न्यायालयों का समय बर्बाद करने से रोका जा सके।

16. उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.1972/25.11.1972 अवैध कानूनी प्रावधानों के विपरीत, क्षेत्राधिकार बाहर एकपक्षीय एवं प्रारंभत शून्य है तथा परिणामस्वरूप ऐसे शून्य आदेशों के तहत् दायर किये गये नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 ग्राम लूणावास खारा व इन पर सरपंच ग्राम पंचायत खुडाला द्वारा पारित आदेश भी अवैध, शून्य, बिना क्षेत्राधिकार का है तथा अपीलांट के हितों के विरूद्ध शून्य व बेअसर है तथा ऐसे अवैध आदेशों से राजस्व अभिलेखों में किए गए पश्चात्वर्ती अंकन भी अवैध व शून्य होने से अपास्त योग्य है। इन

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेशों को पारित करने में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं थे। जिससे इन्हें सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हो सका एवं एकपक्षीय आदेश पारित होने से इनके न्याय के प्राकृतिक अधिकारों एवं साम्पतिक अधिकारों का घोर उल्लघंन हुआ है। प्रकरण में अपीलांट्स हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत जरिए उत्तराधिकार, अपने परदादा/दादा की सम्पति में Per Capita/Per Stripes के आधार पर अभिलेखों में इन्द्राज करवाने के कानूनी रूप से हकदार हैं।

17. परिणामतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.1972/25.11.1972 को खारिज किया जाकर बंटवारा निरस्त किया जाता है। इन आदेशों के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 177 व 178 ग्राम लूणावास खारा पर सरपंच ग्राम पंचायत खुडाला द्वारा पारित स्वीकृति आदेश खारिज किए जाते है तथा इन अवैध आदेशों की आड़ में, तत्पश्चात् पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेखों में किए गए समस्त पश्चात्वर्ती इन्द्राज भी अवैध घोषित कर अपास्त किए जाते है। नामान्तरणकरण 177 व 178 से पूर्व की रिकार्ड की स्थिति बहाल की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार झंवर को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिए जाते है कि खातेदार भभूतसिंह पुत्र फंतेहसिंह के सभी कानूनी वारिशान की गहनता से जांच की जावे तथा उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए स्वर्गीय भभूतसिंह के वारिशान का नाम राजस्व अभिलेखों में नियमानुसार दर्ज किया जावे। उसके पश्चात्, पश्चात्वर्ती उत्तराधिकारों, को भी नियमानुसार रिकार्ड में दर्ज करे।

18. पक्षकार दिनांक 30.07.2025 को तहसीलदार झंवर के समक्ष उपस्थित हो। प्रकरण का निस्तारण समरी जांच से यथासंभव तीन माह में आवश्यक रूप से किया जावे।

19. निर्णय की प्रति तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर को निर्णय की पालना हेतु भेजी जावे।

20. प्रकरण में लम्बित अन्य प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) को तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर कलक्टर (प्रथम) अपर जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 37/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/134

21. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर